



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनहित से संबंधित कार्य है तथा अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ~~13.02~~ हेक्टर है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण के शर्त से मुक्त किया जा सकता है। यदि सम्भव नहीं हो तो अपयोनकर्ता द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि जमा कर दिया जाएगा तथा मजदुरी दर में वृद्धि होने पर राशि जमा कर दिया जाएगा।


22/4/19
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेरधाटी।

N.P.V के भुगतान हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

N.P.V की राशि जमा कर दिया जाएगा तथा N.P.V की राशि में वृद्धि होने पर शेष राशि जमा कर दिया जाएगा।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी।